न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2025/153

सिविल प्रकरण संख्याः– 30/2025 तारीख रजू 25.06.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अशोक कुमार जैन पुत्र श्री सोभाग्य मल जैन (मौके पर विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स मूल चन्द सोभाग मल जैन, सदर बाजार, शहर, सवाई माधोपुर 322021 निवासी– हरसहाय जी का कटला शहर, सवाई माधोपुर 322021 .... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 23.12.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अन्तर्गत दिनांक 09.03.2025 को 12.30 पी.एम. पर मैसर्स मूल चन्द सोभाग मल जैन, शहर, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छायाप्रति पेश की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Kaju 2 Piece** में विक्रय हेतु रखे हुए थे **Kaju 2 Piece** में मिलावट का अंदेशा होने पर **Kaju 2 Piece** 01 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 880/– रूपये विक्रेता अशोक कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान सत्यनारायण के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अशोक कुमार जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति अशोक कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Kaju 2 Piece** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Kaju 2 Piece** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाल कर बोतलों के ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3662** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। [illegible] भागों को अलग–अलग खाकी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3662 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/530 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1030/एक्ट/2025/1037 दिनांक 27.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Kaju 2 Piece, Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/683 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard, Kaju 2 Piece** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये वकील श्री कमलेश कुमार जैन उपस्थित हुये। वकील अभियुक्त ने प्रकरण में जबाब पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard, Kaju 2 Piece** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने पेश किये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेदप्रकाश पूर्विया को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार कथित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना बताया है जबकि उक्त नोटिफिकेशन के देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है जबकि खाद्य सुरक्षा स्टेण्डर्ड रूल्स 2011 के तहत दो वर्ष के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्ठता वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। परन्तु ट्रेनिंग करने के संबंध में परिवाद पत्र में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वेदप्रकाश पूर्विया को खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कोई अधिकार व अनुभव नहीं था जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक की पालना नहीं होने से सारी कार्यवाही नल एण्ड वोईड होने से खारिज होने योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेदप्रकाश पूर्विया ने मैसर्स मूलचन्द सौभागमल जैन से काजू 2 पीश का नमूना लिया जब अवमानक स्तर नहीं था। परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में अप्रार्थी संख्या 1 के कभी हस्ताक्षर नहीं करवाये। इससे स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही एकतरफा विधि विरूद्ध की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। परिवाद पत्र के साथ संलग्न फर्द रिपोर्ट पर भी फर्म के खाद्य व्यापार को अपडेट करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये अप्रार्थी संख्या 1 का अधिकृत व्यक्ति होने का तथ्य नहीं आया है। इस आधार पर भी परिवाद पत्र खारिज होने योग्य है। रजिस्टर्ड पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वेदप्रकाश पूर्विया से जारी किया गया है जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। धाराओ के तहत वादपत्र न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं हो सकता है जो उपखण्ड अधिकारी की पक्ति के नीचे का नहीं होगा। नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 की पालना नहीं की है सारी कार्यवाही रंजिशवश एवं सरकारी आंकडों को पूरा करने के उद्देश्य से की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 की अनुपालना में नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। इस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है साथ ही काजू 2 पीश का खाद्य सुरक्षा और भार अधिनियम में कोई स्टेडर्ड मानक नहीं है। समस्त कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 1 को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इस आधार पर नैसर्गिक न्याय का हनन होने के कारण समस्त कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थी को दोषमुक्त करने की कृपा करे। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध समस्त कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थी को दोषमुक्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1030/एक्ट/2025/1037 दिनांक 27.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Kaju 2 Piece** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार काजू 2 पीस में Superficial damage results 53.13% insteads of 2.0% Maximum, immature or shrivelled (deformed) results 18.14% insteads of 2.0% Maximum, speckled or spotted (Black or Brown) results 7.89% insteads of 0.5% Maximum, presence of testa results 6.31% insteads of 2.0% Maximum पाये जाने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ Kaju 2 Piece** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner